

14.1.21 - पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अर्धी उप०।  
अर्धी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में आगे  
की कार्यवाही नहीं चाहने हेतु प्रार्थना पत्र  
पेश किया जो स्वीकार किया गया।

अतः उक्त प्रकरण की कार्यवाही आगे  
नहीं चाहने से अर्धी का प्रार्थना पत्र इसी  
रूप पर ड्रॉप किया जाकर पत्रावली फ़ैसल  
शुमात के कट संख्या से कम है।

निर्णय लुनाया गया।

*Neel*

**उपखण्ड अधिकारी**  
रांगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

